# न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या-2 बून्दी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : मिनाक्षी मीणा
विशिष्ट सेशन प्रकरण संख्या : 155/2017
एफ. आई.आर. संख्या : 257/2017 थाना सदर, बून्दी

**आरोप अन्तर्गत धारा-8/15 व 8/29 स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधि0, 1985**

निर्णय दिनांक 13-03-2026

| | |
|---|---|
| शिकायतकर्ता | राजस्थान राज्य |
| उपस्थित | विशिष्ट लोक अभियोजक श्री महेन्द्र कुमार शर्मा |
| अभियुक्तगण | 1. इमरान खान पुत्र इरफान खान पठान,<br>निवासी-ग्राम सुकेत, थाना-सकेत, कोटा ग्रामीण (राज0)<br>2. श्याम सिंह पुत्र नटवर सिंह,<br>निवासी-ग्राम नयागांव, थाना-सकेत, कोटा ग्रामीण (राज0)<br>3. महेन्द्र सिंह पुत्र उलफत सिंह सौंधिया,<br>निवासी-ग्राम दांता का खेड़ा,थाना-मिश्रोली,जिला-झालावाड़(राज0) |
| उपस्थित | (1) श्री वहीद अहमद शेख, अधिवक्ता-अभियुक्तगण |

संदर्भित तारीखों का विवरण

| | |
|---|---|
| घटना की तारीख | 17/06/2017 |
| प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख | 17/06/2017 |
| चार्जशीट पेश होने की तारीख | 19/09/2017 |
| आरोप विरचित किये जाने की तारीख | 09/01/18 |
| अभियोजन साक्ष्य प्रारम्भ होने की तारीख | 01/05/18 |
| निर्णय सुरक्षित रखने की तारीख | |
| निर्णय तारीख | 13/03/26 |
| दण्डादेश की तारीख | |

**मुलजिम/मुलजिमान की सूचना**

| क्र.सं. | मुलजिम का नाम | गिरफ्तारी दिनांक | जमानत की तारीख | आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा | बरी या दोषसिद्ध | अधिरोपित दण्ड | विचारण के दौरान भुगती गई निरोध की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इमरान | 17.06.17 | 12/10/17 | 8/15 एन.डी.पी. एस.एक्ट | निर्णयनुसार | निर्णयनुसार | दि. 17.06.17 से 12/10/17 तक |
| 2 | श्याम सिंह | 17.06.17 | 16/10/17 | 8/15 एन.डी .पी.एस.एक्ट | निर्णयनुसार | निर्णयनुसार | दि. 17.06.17 से 16/10/17 तक |
| 3 | महेन्द्र सिंह | 14.01.22 | 20/01/22 | 8/29 एन.डी .पी.एस.एक्ट | निर्णयनुसार | निर्णयनुसार | दि. 14.01.22 से 20/01/22 तक |

नि र्ण य

दिनांक : 13 मार्च, 2026

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त रूप से इस प्रकार से है कि दिनांक 16.06.2017 को समय 01.15 ए.एम. पर अशोक कुमार उप निरीक्षक मय जाप्ता जहेमराज, जोधराज, मुकेश व चालक नवनीत व सरकारी वाहन से नामाबन्दी कर रहे थे तो दौराने नाकाबन्दी एक कार RJ-33-CA-3012 मारूति सेलेरियों रंग सफेद आयी, जिसे रोका तो सामने की तरु दो व्यक्ति बैठे थे, जिनसे नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम इमरान खान व दसरे ने अपना नाम श्याम बताया। इनकी चैकिंग आवश्यक होने मे वास्ते तलाशी स्वतन्त्र गवाह को तलब कर तलाशी किया जाना आवश्यक होने पर जाप्ता में से कानि प्रेमराज 796 को स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु नोटिस देकर रवाना किया, जिसने थोड़ी देर बाद अवगत कराया कि रात्रि का समय होने व कानूनी पेचीदगियों के कारण कोई भी कार्यवाही में गवाह बनने को तैयार नहीं है। इस पर हमराह जाप्ते में से कानि. हेमराज 796 व जोधराज कानि. 1189 को स्वतंत्र गवाह बनने की लिखित सहमति प्राप्त की तथा सदिग्ध कार RJ-33-CA-3012 में बैठे दोनो व्यक्तियो इमरान खान व श्यामसिंह को कार में उतरवाकर तलाशी ली गयी तो इमरान खान की जामा तलाशी में एक मोबाईल लेसा कम्पनी का मिला, जिसमे बार सिम बोडाफोन, एयरसेल, एयरटेल, व रिलायन्स की मिली जिससे से वोडाफोन व एयरमेन कम्पनी में नं. क्रमशः इमरान ने 7610851004 च 9982936101 बताये। व उक्त दोनो सिमों के नम्बर 8991604715700485171NT57 व 6991806061619026378 अंकित है तथा एयरसैल व रिलायंस कम्पनी के सिम नं. क्रमश: 89917015052260658771 H 4 तथा 8991194824050014563 अंकित है। लिमिया कम्पनी का मोबाईल तथा उक्त इमरान की जेब में इसका D/L NO RJ33/2016/0001952 मिला तथा आधार कार्ड नं. 264195567314 मिला एवं जेब में 1200 रूपये नकद मिले तथा श्याम सिंह के पास एक मोबाईल कार्बन कम्पनी जिनके मोबा. नं. 9602845742 श्यामसिंह ने बलये मोबाईल बरंग काला तथा जेब में 800 रुपये नकद मिले। इनके कब्जे की कार मारूति सेलेरियो RJ-33-CA-3012 सफेद की तलाशी गवाहान से लिवायी तो कार की पिछली सीट पर हरे रंग को पतले कपड़े का लम्बा बोरा रखा हुआ था। जिसे चेक किया तो इसमें भूरे रंग का/हरे रंग का डोडा चूरा (छिलके) भरे हुये थे। जिन्हे पूर्व अनुभव के आधार पर मादक पदार्थ डोडा चूरा होना पाया जाने पर उक्त दोनो इमरान खान व श्याम सिंह में उक्त पदार्थ के बारे में पूछा तो इन दोनो ने भी डोडा पूरा होना बताया। इस पर इन दोनो इमरान खान व श्याम सिंह

से इस प्रकार अवैध मादक पदार्थ डोडा परिवहन करने बाबत अनुज्ञापत्र मांगा तो अपने पास कोई अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया। इस पर अशोक कुमार उ.नि. ने इन दोनो को इनके विधिक अधिकारों से अवगत कराते हुये बताया कि आपके पास अवैध मादक पदार्थ डोडा दौराने आकस्मिक चैकिंग पाया गया है अतः आप चाहे तो आगे की कार्यवाही किसी राजपत्रित अधि./अथवा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी कराई जा सकती है इस पर दोनो ने अपनी लिखित सहमती प्रदान की। उपरोक्त कार में से हरे रंग के पल्ली नुमा बोरे को उतारकर तथा वजन कराने हेतु हमराह जाप्ते में से कानि. मुकेश आर.टी 1172 मे इलेक्ट्रीक कांटा मंगवाकर उपरोक्त पल्ली नुमा बोरा जिनसे जिसमें मादक पदार्थ डोडा भरा हुआ है, का बजन कराया तो मय बारदान बजन कुल 51 किलो 400 ग्राम हुआ। इसके उपरान्त इमरान खान व श्याम सिंह के पास मिले डोडा चूरा के बोरे मे से एक एक किलो के दो नमूना सेम्पल वास्ते कन्ट्रोल व FSL निकालकर इन्वेस्टीगेशन बाक्स की सहायता से सफेद कपडे की थैली में रखकर शील मोहर किये तथा शेष 49 किलो 400 ग्राम डोडा चूरा को उसी पल्ली नुमा बोरे में रखकर शील मोहर कर मार्क A दिया तथा कन्ट्रोल व FSL के सेम्पलो का मार्क B व C दिया गया। जिस पर उपस्थित मुलजिमान के हस्ताक्षर करवाये गये इमरान खान व श्याम सिह जिनके कब्जे से सेलेरियो कार मे डोडा चूरा मिला है। से उक्त डोडा चुरा के बारे मे पुछा तो दोनो ने बताया की श्याम सिंह रिस्तेदार महेन्द्र सिंह परिहार पुत्र उलफत सिंह नि. दाताखेडा भवानी मण्डी ने गत दिनांक को इस कार में डोडा भरकर कार इमरान खान को सम्भलाई थी और सुकेत से श्याम सिंह को साथ लेकर डोडे को कार से केकडी छोडने के लिये कहा था और महेन्द्र सिंह परिहार के मोबाईल 9571783986 व 7770923522 है जिसमे केकडी पहुंचने पर डिलीवरी पता बताने की कही थी सेलेरीयो कार की तलाशी में एक डायरी बरगं लाल गिली जिस पर महेन्द्र सिह परिहार एम.एस पी सिचाई व भूखण्ड ठेकेदार एव चालक इमरान खान लिखा है। इस प्रकार इमरान खान एवं श्याम सिह के द्वारा व्यवसायिक मात्रा मे बिना अनुज्ञापत्र अवेध मादक पदार्थ डोडा चुरा रखना व परिवहन करना धारा 8/15 NDPS ACT का अपराध होने से उक्त दोनो को विधिक प्रावधानो के अनुरुप जरिये फर्द गिरफतार किया तथा इनके कब्जे से जप्तशुदा मादक पदार्थ डोडे व शिल्डशुदा सेम्पल तथा कार RJ-33-CA-3012 मारूति मेलेरियो व डायरी तथा जामा तलाशी के आलामाल को हमराह लिया वापसी थाना पर मुकदमा सं.-257/17 धारा 8/15 एन.डी.पी.एस एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् तथ्यों का संकलन करते हुए अभियुक्त इमरान व श्याम सिंह के विरुद्ध धारा 8/15 एन.डी.पी.एस.एक्ट तथा अभियुक्त महेन्द्र सिंह के विरुद्ध धारा 8/29 एन.डी.पी.एस.एक्ट के अपराध में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया।

2. बाद बहस आरोप अभियुक्तगण इमरान व श्याम सिंह के विरुद्ध धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट व अभियुक्त महेन्द्र सिंह के विरुद्ध धारा 8/29 एन.डी.पी.एस.एक्ट का आरोप प्रथमदृष्टया बनना पाये जाने पर पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, अभियुक्तगण ने अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

## अभियोजन साक्षीगण की सूची

| क्रम सं. | साक्षी का नाम | किस बाबत साक्षी |
|---|---|---|
| 1 | मुकेश कुमार | प्रत्यदर्शी साक्षी |
| 2 | नवनीत कुमार | प्रत्यदर्शी साक्षी |
| 3 | अशोक कुमार | जप्ती अधिकारी |
| 4 | जोधराज | फर्द जप्ती |
| 5 | हेमराज | फर्द जप्ती |
| 6 | रघुवीर सिंह | फर्द तस्दीक घटनास्थल |
| 7 | युवराज सिंह | मालखाना इंचार्ज |
| 8 | ललित किशोर | माल एफ.एस.एस. में जमा कराना |
| 9 | सतीश कमार | धारा 57 की सूचना |
| 10 | उदयलाल | अनुसंधान अधिकारी |
| 11 | गजानन्द | फर्द तस्दीक घटनास्थल |
| 12 | जगन्नाथ | आरोप पत्र प्रस्तुत करना |
| 13 | प्रमोद | फर्द तस्दीक मौका |
| 14 | कैलाश | फर्द गिरफ्तारी |
| 15 | रणजीत | फर्द गिरफ्तारी |
| 16 | अभिषेक पारीक | अनुसंधान अधिकारी |
| 17 | मायाराम | नक्शा मौका सुपुर्दगी स्थल |

## बचाव साक्षीगण की सूची :-

| क्रम सं. | साक्षी का नाम | किस बाबत साक्षी |
|---|---|---|
| | निल | |

## अभियोजन की ओर से पेश प्रलेखों की सूची

| क्र. सं. | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | प्रदर्श पी 1/ पी.डब्ल्यू.3 | फर्द चैकिंग व जप्ती |
| 2 | प्रदर्श पी 2/ पी.डब्ल्यू.3 | फर्द नमूना सील कार्यवाही |
| 3 | प्रदर्श पी 3/ पी.डब्ल्यू.3 | फर्द नष्टीकरण सील |
| 4 | प्रदर्श पी 4/ पी.डब्ल्यू.3 | हुक्मनामा |
| 5 | प्रदर्श पी 5/ पी.डब्ल्यू.3 | नोटिस सहमति गवाहान |
| 6 | प्रदर्श पी 6/ पी.डब्ल्यू.3 | नोटिस धारा 50 एन.डी.पी.एस.एक्ट |
| 7 | प्रदर्श पी 7/ पी.डब्ल्यू.3 | फर्द पुन: जप्तशुदा माल |
| 8 | प्रदर्श पी 8/ पी.डब्ल्यू.3 | मालखाना रसीद |
| 9 | प्रदर्श पी 9/ पी.डब्ल्यू.3 | फर्द गिरफ्तारी |
| 0 | प्रदर्श पी 10/ पी.डब्ल्यू.3 | फर्द गिरफ्तारी |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | प्रदर्श पी 11/ पी.डब्ल्यू.3 | फर्द नक्शा मौका घटनास्थल |
| 12 | प्रदर्श पी 12/ पी.डब्ल्यू.3 | नोटिस धारा 57 एन.डी.पी.एस.एक्ट |
| 13 | प्रदर्श पी 13/ पी.डब्ल्यू.6 | फर्द तस्दीक नक्शा मौका |
| 14 | प्रदर्श पी 14/ पी.डब्ल्यू.7 | मालखाना रजिस्टर |
| 15 | प्रदर्श पी 15/ पी.डब्ल्यू.8 | अग्रेषण पत्र |
| 16 | प्रदर्श पी 16/ पी.डब्ल्यू.8 | एफ.एस.एल. रसीद |
| 17 | प्रदर्श पी 17/ पी.डब्ल्यू.8 | एफ एस एल रसीद |
| 18 | प्रदर्श पी 18/ पी.डब्ल्यू.8 | नकल रपट |
| 19 | प्रदर्श पी 19/ पी.डब्ल्यू.9 | नकल रपट |
| 0 | प्रदर्श पी 20/ पी.डब्ल्यू.10 | फर्द तस्दीक घटनास्थल |
| 21 | प्रदर्श पी 21/ पी.डब्ल्यू.10 | आपराधिक रिकार्ड |
| 22 | प्रदर्श पी 22/ पी.डब्ल्यू.14 | फर्द गिरफ्तारी |
| 23 | प्रदर्श पी 23/ पी.डब्ल्यू.16 | फर्द सूचना |
| 24 | प्रदर्श पी 24/ पी.डब्ल्यू.16 | प्रमाण पत्र धारा 65 बी |
| 25 | प्रदर्श पी 25/ पी.डब्ल्यू.16 | प्रमाण पत्र |
| 26 | प्रदर्श पी 26/ पी.डब्ल्यू.16 | प्रमाण पत्र धारा 65 बी |
| 27 | प्रदर्श पी 27/ पी.डब्ल्यू.16 | एफ एस एल नतीजा |

<u>बचाव पक्ष की ओर से पेश प्रलेखों की सूची</u>

| क्र. सं. | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| निल | | |

वस्तु आर्टिकल : - निल

3. अभियोजन साक्ष्य के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्तगण के कथन अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुये स्वयं को निर्दोष होना बताया।

4. प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

(1) क्या दिनांक 16.06.2017 को समय लगभग 07.50 पी.एम. पर एन.एच. 52 टनल के पास एक कार रजि. नं. आर.जे.33/सी.ए.-3012 में अभियुक्त इमरान व श्याम सिंह के कब्जे से बिना वैध अनुज्ञापत्र के 51 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त चूरा अवैध रूप से परिवहन करते हुए बरामद हुआ, जिसे अपने आधिपत्य में रखने व परिवहन करने का उसके पास कोई वैध अनुज्ञा-

पत्र नहीं था एवं उक्त बरामद मादक पदार्थ डोडा पोस्त चूरा अभियुक्त महेन्द्र सिंह द्वारा उन्हें विक्रय करते हुये अपराध का दुष्प्रेरण किया ?

(2) यदि अभियोजन सन्देह से परे आरोप प्रमाणित कर पाने में सफल रहा है, तो अभियुक्तगण को दिये जाने वाले दण्ड की मात्रा क्या होगी ?

5. बहस के माध्यम से अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पूर्णतया प्रमाणित हो चुका है। अभियुक्तगण इमरान व श्यामसिंह को मादक पदार्थ परिवहन करते हुए पकड़ा गया है एवं उनके कब्जे से मादक पदार्थ डोडा चूरा व्यावसायिक मात्रा में बरामद हुआ है, जिसकी पुष्टि अभियोजन के साक्षीगण द्वारा की गई है तथा अभियुक्त महेन्द्र सिंह द्वारा यह मादक पदार्थ अन्य अभियुक्तगण को सुपुर्द/विक्रय किया गया था, जो कि इमरान व श्याम सिंह द्वारा केकडी, अजमेर पहुँचाया जाना था। अभियुक्तगण द्वारा उस स्थान की तस्दीक भी करवायी गई, जहॉ से महेन्द्र सिंह से मादक पदार्थ प्राप्त कर लाया गया था। अतः सभी मुलजिमान के विरुद्ध अपराध प्रमाणित होने का कथन करते हुए मुलजिमान को दोषसिद्ध किया जाकर उचित दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गई।

अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिये हैं कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है, पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं है, अभियुक्तगण को मामले में झूठा फंसाया गया है। मामले में धारा 42 व 50 एन.डी.पी.एस.एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। साथ ही सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित है। प्रस्तुत मामले को जानबूझकर चांस रिकवरी का मामला बताया गया है जबकि यह चांस रिकवरी का मामला नहीं है एवं धारा 50 के प्रावधानों की पालना आवश्यक थी। प्रस्तुत मामले में जिस कार को जप्त किया गया है, वह किसके स्वामित्व की थी, इस बाबत् कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। जिस स्थान पर सम्पूर्ण कार्यवाही करना बताया गया है, वह टनल के पास का स्थान था, जहॉ सी.सी.टी.वी. कैमरा मौजूद है, परन्तु उक्त कैमरे से फुटेज प्राप्त नहीं की गई, जो कार्यवाही की पुष्टि करती हो। मौके पर जो फर्दात् तेयार की गई है, वह किसकी कलमी है, यह गवाह पी.डब्ल्यू. 1 द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। जप्तशुदा वाहन को मौके पर जिस कांटे से तोला गया, वह कहॉ से लाया गया, यह भी स्पष्ट नहीं है। मौके पर ही माल को थाने की सील से सील मोहर किया गया है, जो कि विधिनुसार गलत है। गवाह पी.डब्ल्यू. 3 व पी.डब्ल्यू. 5 की जिरह मुख्य परीक्षण से विरोधाभासी है। गवाह पी.डब्ल्यू. 2 चश्मदीद गवाह नहीं है। सम्पूर्ण मामला कमजोर प्रकृति का है। अभियुक्त महेन्द्र सिंह से ना ही तो कोई विक्रय राशि बरामद की गई, ना ही अन्य अभियुक्तगण के साथ वह किस प्रकार आपराधिक षडयन्त्र कर रहा था, यह स्पष्ट नहीं है। प्रस्तुत मामला सन्देहास्पद होने से अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

**विचारणीय बिन्दु सं. 1:-**

6. प्रकरण में अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 16.06.2017 को अभियुक्तगण इमरान व श्याम सिंह के पास लगभग 12.15 ए.एम. के आसपास पुलिस थाना, हिण्डोली, बून्दी के क्षेत्र में एन.एच. 52 पर अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त चूरा बरामद किये जाने के संबंध में तथा उक्त डोडा चूरा इन मुलजिमान द्वारा अभियुक्त महेन्द्र सिंह से क्रय किये जाने के संबंध में अभियोजन द्वारा जो साक्षीगण पत्रावली पर परीक्षित करवाये गये हैं, उनमें स्वयं जब्ती अधिकारी अशोक कुमार पी.डब्ल्यू. 3 तथा फर्द जब्ती के गवाहान के रूप में साक्षी जोधराज पी.डब्ल्यू. 4 व हेमराज पी.डब्ल्यू. 5 एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के रूप में मुकेश पी.डब्ल्यू. 1 व नवनीत पी.डब्ल्यू. 2 के रूप में पत्रावली पर परीक्षित करवाये गये हैं।

7. साक्षी अशोक कुमार, पी.डब्ल्यू. 3 जो कि प्रकरण में जब्ती अधिकारी एवं तत्समय पुलिस थाना हिण्डोली, जिला-बून्दी में ए.एस.आई. के पद पर पदस्थापित होना बताया गया है, को अभियोजन की ओर से पत्रावली पर पी.डब्ल्यू. 3 के रूप में परीक्षित करवाया गया है। उक्त साक्षी ने सशपथ कथन किये गये हैं कि वह दिनांक 16.06.2017 को पुलिस थाना सदर बून्दी में ए.एस. आई के पद पर तैनात था। थाने से रवाना होकर नाकाबंदी में टनल बून्दी के पास कोटा रोड एन एच 12 को जाने वाली लाईन नाकाबंदी प्रारम्भ की। दौराने नाकाबंदी समय 12.15 ए.एम. दिनांक 17.06.17 को एक कार आर.जे. 33 सीए 3012 मारूति सेलेरियो कोटा की तरफ से आई जिसको बामुश्किल बेरिकेट लगाकर रोका गया जो संदिग्ध नजर आने से नजरी निरीक्षण किया तो सामने दो व्यक्ति बैठे हुए थे। स्टेयरिंग पर बैठे चालक से उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम इमरान खान व चालक के बगल में बैठे हुए व्यक्ति ने अपना नाम श्याम सिंह होना बताया। दोनों को स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने पर कानि. हेमराज व जोधराज को तलाशी हेतु स्वतंत्र गवाह मामूर कर नियमानुसार तलाशी ली गई तो इमरान के पास एक मोबाइल लेसिया कम्पनी का काले रंग का जिसमें चार सिम डली हुई थी व 1200 रूपये उसकी जेब से मिले एवं उसका ड्राईविंग लाईसेंस व आधार कार्ड मिला था इसी प्रकार श्याम सिंह की तलाशी लेने पर उसके पास जेब में 400 रूपये एवं एक मोबाइल कार्बन कम्पनी का जिसमें दो सिम थी, मिले। दोनो के कब्जे कार सेलेरियो की तलाशी ली गई तो पीछे की सीट पर एक हरे पीले रंग के कपड़े में खोलकर चैक किया तो हरे भूरे रंग का डोडा पोस्त होना जाहिर हुआ। जिसका परिवहन करने बाबत एवं मादक पदार्थ अपने कब्जे में रखने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो उक्त दोनो व्यक्तियो द्वारा अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया। उन दोनो को तलाशी हेतु उनके वैधानिक अधिकारो से अवगत कराया। इस पर लिखित में सहमति पत्र पर बताया कि हम आप से अपनी तलाशी लिवाना चाहते है। इस पर कानि. मुकेश को इलें. कांटा बाट लेने हेतु रवाना किया जिसने कुछ देर बाद कांटा बाट लाकर पेश किया इस पर डोडा पोस्त 51 किग्रा 400 ग्राम मिला एवं दोनो मुलजिमान ने भी डोडा चूरा मादक पदार्थ होना बताया। मुलजिमान का उक्त कृत्य 8/15 एनडीपीएस एक्ट मे दण्डनीय अपराध होने से मौके पर ही 51 किग्रा 400 ग्राम में से एफ एस एल सैम्पल 1-1 किग्रा डोडा चूरा इन्वेस्टिगेशन बॉक्स में से सफेद थैलिया निकालकर

रखकर जब्त करते हुए सील मोहर किया गया एवं मार्क बी व सी दिया गया व शेष माल 49 किग्रा 400 ग्राम को उसी कपड़े मे सील मोहर कर मार्क ए दिया गया। एवं मुलजिमान को मुताबिक फर्द गिरफतारी गिरफतार कर हिरासत पुलिस में लिये गये एवं जामा तलाशी का माल एवं कार को कब्जे पुलिस लिया जाकर नमूना सील को जरिये फर्द मौके पर ही नष्ट किया गया एवं रवाना होकर थाने पर पहुंच कर मुकदमा संख्या 257/17 अन्तर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दर्ज कर मुलजिम को बाद जामा तलाशी बन्द हवालात किया गया एवं जप्तशुदा आर्टिकल्स ए, बी, सी को पुनः सील मोहर कर फर्द पुनः सील मोहर किया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। जमा मालखाना की रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई एवं दफा 57 साक्ष्य अधि. की सूचना जरिये कानि. सतीश के उच्चाधिकारियो के भिजवाई गई एवं मुताबिक निर्देश उच्चाधिकारीयो के अनुसंधान श्री अभिषेक पारीक के सुपुर्द की गई। फर्द जप्ती एवं चैकिंग प्रदर्श पी 1, फर्द नक्शा नमूना सील कार्यवाही प्रदर्श पी 2, फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी 3, स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु कानि हेमराज को दिया गया नोटिस प्रदर्श पी 4, नोटिस सहमति गवाहान प्रदर्श पी 5, नोटिस धारा 50 एनडीपीएस एक्ट प्रदर्श पी 6, फर्द पुनः जप्तशुदा माल डोडा चूरा की प्रदर्श पी 7, माल जमा मालखाना कराने की रसीद एच एम की प्रदर्श पी 8, फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी मुलजिम इमरान प्रदर्श पी 9, फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी मुलजिम श्याम सिंह प्रदर्श पी 9, नक्शा मौका निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी 11 है। थानाधिकारी थाना सदर बून्दी के क्रमांक सं0 4034 दिनांक 17.6.17 श्रीमान वृताधिकारी महोदय वृत बून्दी को 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना कानि. द्वारा भिजवाई गई थी जो प्रदर्श पी 12 है व छाया प्रति श्रीमान पुलिस अधीक्षक बूंदी को भी भिजवाई गई। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि वे रोजनामचे में रपट अंकित करवाकर गये थे। धारा 50 एन.डी.पी.एस.एक्ट का नोटिस उसका कलमी है। कन्ट्रोल व साधारण सेम्पल पर मोहर थाने की लगाई थी। मौके पर माल को दोबारा सील नहीं किया था। माल थाने में जमा कराते समय मालखाना इंचार्ज की सील से सील मोहर किया था। गवाह ने इस बात को गलत बताया कि जप्तशुदा वाहन पंचर अवस्था में लावारिस रोड के सहारे खड़ा हुआ हो और वाहन चलने की स्थिति में ना हो बल्कि चलने की अवस्था में था। दोनों मुलजिमान की गिरफ्तारी उन्होंने मौके पर बनायी थी।

8. प्रकरण में साक्षी जोधराज पी.डब्ल्यू. 4 फर्द जप्ती व बरामदगी का गवाह है, जो मौके पर उपस्थित था। इस साक्षी ने अपने बयानों में बताया कि वह दिनांक 17.06.2017 को पुलिस थाना सदर मे कानि0 के पद पर तैनात था। उस दिन अशोक परिहार एस.आई, मुकेश कानि, हेमराज कानि, नवनीत चालक, मय जीप सरकारी से उच्च अधिकारियो के आदेश से बून्दी टनल की तरफ से आने वाले कोटा के रास्ते की तरफ से समय रात्रि 12.15 ए एम पर एक सफेद रंग की सेलेरियो कार जिसका नम्बर आर जे 33 सी ए 3012 दिखाई दी, जिसको बेरियर लगाकर हमराहा जाब्ते की मदद से रोका गया। उक्त गाड़ी मे एक ड्राईवर व एक अन्य व्यक्ति थे जिनसे एस आई साहब ने नाम पते पूछे तो जो चालक व्यक्ति ने अपना नाम इमरान खां व दूसरे ने अपना नाम श्याम सिंह होना बताया। तलाशी

हेतु स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने पर उसे व हेमराज कानि. को स्वतत्रं गवाह मामूर कर नियमानुसार इमरान की तलाशी ली तो उसके पास एक मोबाइल लेसा कम्पनी का मिला जिसमें चार सिम थी जिसमे एयरटेल, एयरसेल, रिलायंस थी। जिनमे से दो सिम का नम्बर लास्ट का 101, 004 थे व उसकी पेन्ट की जेब में 1200 रूपये नकद मिले व स्वयं का आधार कार्ड व लाईसेंस मिला। दूसरे व्यक्ति श्यामसिंह की तलाशी ली गई तो उसके पास एक मोबाइल कार्बन कम्पनी का रंग काला व जेब में 800 रूपये नकद मिले। उसके बाद मारूति सेलेरियो गाड़ी की तलाशी ली गई तो कार की पिछली सीट पर हरे रंग का पतला लम्बा बोरा रखा हुआ था जिसके बारे में दोनो से पूछने कोई संतोषजनक जवाब नही दिया तथा कार की तलाशी में एक डायरी रंग लाल मिली जिसमे महेन्द्र सिंह परिहार का नाम व मोबाइल नम्बर लिखे थे। बोरे को खोला व चैक किया तो उसके अन्दर छिलकेनुमा हरे रंग का पदार्थ था जिसको एस आई साहब द्वारा पूर्व अनुभव के आधार पर डोडा चूरा होना बताया व दोनो पकड़े गये व्यक्तियो से पूछने पर भी उन्होने भी डोडा चूरा होना बताया। उन दोनो को तलाशी हेतु उनके वैधानिक अधिकारो से अवगत कराया। इस पर दोनों ने लिखित में सहमति पत्र पर बताया कि हम आप से अपनी तलाशी लिवाना चाहते है। दोनो व्यक्तियो से मादक पदार्थ डोडा चूरा रखने व परिवहन बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो दोनो ने अनूज्ञा पत्र नही होना बताया। जिससे मुलजिमान का उक्त कृत्य धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट मे दण्डनीय अपराध होने से एस आई साहब ने इलें कंाटा मंगवाकर बोरे में रखे हरे रंग का डोडा व चूरा का तौल किया गया तो बोरे सहित मादक पदार्थ डोडा का वजन 51 किग्रा 400 ग्राम निकला। जिसमें से 1-1 किग्रा के दो सैम्पल बतौर नमूना सैम्पल व कन्ट्रोल सैम्पल निकालकर सफेद कपड़ेनुमा थैली में रखकर सील्ड कर मार्क बी व सी दिया गया व शेष 49 किग्रा 400 ग्राम को सील चीट कर मार्क ए दिया गया। एस.आई. साहब ने दोनो मुलजिमान से पूछा कि वे डोडा चूरा कहां से लाये है तो उन्होने बताया कि मुलजिम श्यामसिंह के रिश्तेदार महेन्द्र सिंह परिहार ने उक्त सेलेरियो गाड़ी इमरान खान को सम्भलाई थी और सुकेत से श्याम सिंह को साथ लेकर डोडा चूरा को केकड़ी छोडने के लिए कहा था एवं केकड़ी पहुंचने पर डिलीवरी का पता बताने को कहा था। मौके पर सारी कार्यवाही की गई थी। माल को जप्त कर मौके पर फर्द जप्ती बनाई गई तथा गाड़ी के मालिक महेन्द्र सिंह परिहार व श्याम सिंह व इमरान खान को व्यवसाय मात्रा में बिना अनुज्ञा पत्र डोडा चूरा रखने व परिवहन करने से धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर उक्त दोनो मुलजिमान को गिरफतार किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही के बाद मय माल व मुलजिम के थाने पर आये जहां एस आई साहब ने मुकदमा दर्ज कर माल को जमा मालखाना किया व मुलजिमान को बन्द हवालात किया गया। फर्द चैकिंग प्रदर्श पी 1 है। उक्त प्रकरण का नक्शा मौका दिनांक 17.6.17 को बनाया जिसमें वह व हेमराज गये थे नक्शा मोका प्रदर्श पी 11 है। फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 2 व फर्द नष्टीकरण सील मादक पदार्थ प्रदर्श पी 3 है। स्वतंत्र गवाह बनने की फर्द प्रदर्श पी 5 है। फर्द पुन नमूना सील मादक पदार्थ प्रदर्श पी 7 है। संपूर्ण कार्यवाही के उपरांत इमरान को जरिये प्रदर्श पी 9 गिरफतार किया मुलजिम श्याम सिंह की गिरफतारी की फर्द पी 10 है।

बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार किया कि जो दो व्यक्ति मिलने उनके पास व्यक्तिगत रूप से कोई मादक पदार्थ नहीं मिला, गाड़ी की सीट पर मिला था। कानूनी पेचिदगी के कारण कोई गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कांटा बांट जाप्ते के मुकेश कानि; से मंगवाया था। घटनास्थल से बून्दी कस्बा 3-4 कि.मी. दूर है। जिस वाहन से मादक पदार्थ बरामद हुआ, उसका मालिक श्याम सिंह था। गवाह ने इस बात को गलत बताया कि जप्तशुदा वाहन चलने की स्थिति में नहीं था। मौके पर आकस्मिक चैकिंग के दौरान उन्होंने वाहन को जप्त किया था।

9. फर्द जप्ती व बरामदगी के अन्य गवाह हेमराज पी.डब्ल्यू. 5 ने भी अपने बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 16.06.2017 को थाना सदर पर कानि के पद पर तैनात था। उस दिन इंचार्ज थाना अशोक कुमार एस.आई. मय जाब्ता जोधराज कानि, मुकेश कानि, चालक नवनीत तथा वह मय जीप सरकारी थाने से वास्ते हथियार नाकाबंदी 7.50 पीएम पर कोटा की ओर जाने वाली टनल पर पहुँच कर नाकाबंदी शुरू की। दिनांक 17.06.17 करीब 12.15 ए.एम. पर एक कार मारूती सेलेरियो आर जे 33 सी ए 3012 सफेद रंग की कोटा की तरफ से आई जिसमें आगे की सीट पर दो व्यक्ति सवार थे। जिसे एस.आई. साहब ने रूकवाया और अपना परिचय देते हुए एक व्यक्ति जिसने पीली शर्ट व काला टीशर्ट पहना था से नाम पूछा तो उसने नाम इमरान खान व चालक के बगल में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम श्याम सिंह होना बताया। एसआई साहब ने उन व्यक्तियों व गाडी की तलाशी लेना आवश्यक होने से स्वतंत्र गवाह की तलबी का हुकुमनामा देकर 12.40 ए.एम. पर उसे रवाना किया। स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने पर जाप्ते में से उसे व जोधराज कानि से लिखित सहमति प्राप्त कर गवाह मामूर किया। कार में बैठे दोनो व्यक्तियों को उतार कर तलाशी ली तो इमरान के पास एक मोबाईल लेसिया कंपनी का काले रंग जिसमें चार सिम डली थी 1200 रूपये उसकी जेब मे मिलें व एक डाईविंग लाईसेंस व आधार कार्ड मिला। दूसरे व्यक्ति श्याम सिंह की तलाशी लेने पर उसके पास जेब में 800 रूपये व एक मोबाईल कार्बन कंपनी का दो सिम के साथ मिला। दोनो व्यक्तियों से पूछा की कार मे क्या है तो दोनो ने कोई संतोषजनक जवाब नही दिया। फिर दोनो के कब्जे की कार की तलाशी ली तो पीछे की सीट पर हरे कपडे की थैली में मादक पदार्थ होने का अहसास हुआ इस पर खोल कर चैक किया तो उसमें हरे भूरे रंग का पदार्थ मिला जो पत्तियां व डंठल नुमा था। जिसे एसआई साहब व गवाहान को सूंघाया व दिखाया तो सभी ने पूर्वानुभव के आधार पर डोडाचुरा होना पाया। इमरान व श्याम सिंह ने भी डोडा चूरा होना बताया। जिसके परिवहन करने व अपने कब्जे में रखने बाबत अनुज्ञा पत्र मांगा तो कोई अनुज्ञा पत्र होना नही बताया। इस पर एसआई साहब ने उन दोनो को अपने वैधानिक अधिकारो से अवगत कराते हुए बताया की आप अपनी व कार की तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट से लिवा सकते है तो उन दोनों ने एसआई साहब से तलाशी लेने की लिखित में सहमति दी। इस बाबत उनको धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया जिस पर उन्होने सहमति दी। इस पर डोडा चूरा से भरा बोरे नुमा प्लास्टिक के थैले का तौल करने हेतु इलेक्टानिक तराजू मंगवाकर थैले सहित मय बारदाना डोडा चूरा का तौल किया तो कुल वजन 51

किलो 400 ग्राम हुआ। जिसमें से एक एक किलोग्राम डोडा चूरा बतौर कंटौल व एफएसएल सैंपल कपडे की थैली में अलग अलग निकालकर सील्ड मोहर किया व शेष डोडा चूरा 49 किलो 400 ग्राम को उसी थैले में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क ए दिया। कंट्रोल सैपंल व एफएसएल सैंपल को क्रमशः मार्क बी व सी दिया। मुलजिमान को जरिये फर्द गिरफ्तार किया। जप्ती की कार्यवाही मे काम ली गई नमूना सील को तोडकर मौके पर नष्ट कर फर्द बनाई गयी। फर्द जप्ती मौके पर तैयार की गई। गाडी में मिली लाल डायरी को कब्जे पुलिस लिया जिसमे मोबाईल नंबर थे। जब्ती के दौरान एसआई साहब ने डोडा चूरा लाने के लिये पूछा तो बताया की श्यामसिंह के रिश्तेदार महेन्द्र सिंह परिहार ने इस कार में डोडा चूरा रखकर इमरान को संभलाई थी व सुकेत से श्याम सिंह को साथ लेकर केकडी छोडने को कहा था तथा महेन्द्र सिंह के मोबाईल नंबर उन्होने बताया जिसे केकडी पहुंचने पर फोन करके बताना था। बाद कार्यवाही मय माल व मुलजिम तथा वाहन के थाने पर आये। फर्द जप्ती प्रदर्श पी-1, स्वतंत्र गवाह तलबी का नोटिस प्रदर्श पी 4, गवाह बनने की सहमति का पत्र प्रदर्श पी 5, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 2, फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी 3, फर्द पुनः नमूना सील प्रदर्श पी 7, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम इमरान प्रदर्श पी 9 व फर्द गिरफ्तारी मुलजिम श्याम सिंह प्रदर्श पी 10 है। दिनांक 17.06.2017 को ही अनुसंधान अधिकारी अभिषेक पारीक एसएचओ सदर बून्दी ने अशोक जी एसआई की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 11 है। बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार किया कि उक्त वाहन को बाहर से देखने पर कोई वस्तु नजर नहीं आ रही थी, वाहन को रोकने के बाद सामने बैठे दोनों व्यक्तियों से इंचार्ज ने पूछताछ की। ड्यूटी टाईप पर टनल के कर्मचारियेां से गवाह बनने के बारे में पूछा था, लेकिन इसका अंकन तहरीरी में नहीं किया। उसे ध्यान नहीं है कि मुलजिमान पढ़े लिखे नहीं हो और केवल साक्षर हो। टनल पर सी सी टी वी कैमरे लगे हुए हैं पर वे चैकिंग स्थल से दूर थे, पर लाईट की रोशनी थी। गवाह ने स्वीकार किया कि माल पर सील लगाने के बाद सील को नष्ट करते हैं। वाहन जप्त करके थाने पर लाने तक उन्हें 4-5 घण्टे लगे थे। गवाह ने स्वीकार किया कि वापिस आने के बाद रोजनामचे में टाईम डालकर मुकदमा दर्ज किया था। जाप्ता की तलाशी बाबत् फर्द अलग से बनायी थी।

10. साक्षी मुकेश कुमार पी.डब्ल्यू. 1 मौके का गवाह है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 17.06.2017 को पुलिस थाना सदर मे कानि0 के पद पर तैनात था। उस दिन अशोक परिहार एस आई, जोधराज कानि, हेमराज कानि, नवनीत चालक, मय जीप सरकारी से उच्च अधिकारियों के आदेश से बून्दी टनल की तरफ से आने वाले कोटा के रास्ते की तरफ से समय रात्रि 12.15 ए.एम. पर एक सफेद सेलेरियो कार जिसका नम्बर आर.जे.33 सी.ए.3012 दिखाई दी, जिसको बेरियर लगाकर हमराहा जाब्ते की मदद से रोका गया। उक्त गाड़ी मे एक ड्राईवर व एक अन्य व्यक्ति थे जिनसे एस आई साहब ने नाम पते पूछे तो जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था उसने अपना नाम इमरान खां होना बताया व दूसरे ने अपना नाम श्याम सिंह होना बताया। संदेहास्पद होने से तलाशी हेतु जाब्ते में से हेमराज कानि. को स्वतत्रं गवाह की तलाशी हेतु भेजा स्वतंत्र गवाह

नहीं मिलने पर जोधराज व हेमराज कानि. को स्वतत्रं गवाह मामूर कर मारूति सेलेरियो गाड़ी की तलाशी ली गई तो कार की पिछली सीट पर हरे रंग का पतला लम्बा बोरा रखा हुआ मिला जिसे चैक किया तो उसके अन्दर छिलकेनुमा हरे रंग का पदार्थ था जिसको एस आई साहब द्वारा पूर्व अनुभव के आधार पर छिलकेनुमा हरे रंग का पदार्थ मादक पदार्थ डोडा चूरा होना बताया व दोनो पकड़े गये व्यक्तियो से पूछने पर भी उन्होने भी डोडा चूरा होना बताया। अशोक जी एस आई ने दोनो व्यक्तियो को उनके विधिक अधिकारो से अवगत कराते हुए उन्हे कहा कि आप चाहे तो आपकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी के सामने लिवा सकते है । इस पर दोनो ने अपनी लिखित सहमति दी कि वे अपनी तलाशी एस आई साहब से लिवाना चाहते है। दोनों व्यक्तियों से मादक पदार्थ डोडा चूरा रखने व परिवहन बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो दोनो ने अनुज्ञा पत्र नही होना बताया। जिससे मुलजिमान का उक्त कृत्य धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट मे दण्डनीय अपराध होने से एस आई साहब ने उसे इले. कांटा लाने हेतु भेजा तो उसके द्वारा इले. कांटा लाया गया जिसकी सहायता से बोरे में रखे हरे रंग का डोडा व चूरा का तौल किया गया तो बोरे सहित मादक पदार्थ डोडा का वजन 51 किग्रा 400 ग्राम निकला। जिसमें से 1-1 किग्रा के दो सैम्पल बतौर नमूना सैम्पल व कन्ट्रोल सैम्पल निकालकर सफेद कपड़ेनुमा थैली में रखकर सील्ड कर मार्क बी व सी दिया गया व शेष 49 किग्रा 400 ग्राम को सील चीट कर मार्क ए दिया गया। एस आई साहब ने दोनो मुलजिमान से पूछा कि वे डोडा चूरा कहां से लाये है तो उन्होने बताया कि मुलजिम श्यामसिंह के रिश्तेदार महेन्द्र सिंह परिहार पुत्र उल्फत सिंह निवासी-दाताखेड़ा भवानीमण्डी ने उक्त सेलेरियो गाड़ी इमरान खान को सम्भलाई थी और सुकेत से श्याम सिंह को साथ लेकर डोडा चूरा को केकड़ी छोडने के लिए कहा था एवं केकड़ी पहुंचने पर डिलीवरी का पता बताने को कहा था। मौके पर सारी कार्यवाही की गई थी। माल को जप्त कर मौके पर फर्द जप्ती बनाई गई तथा गाड़ी के मालिक महेन्द्र सिंह परिहार व श्याम सिंह व इमरान खान को व्यवसायिक मात्रा में बिना अनुज्ञा पत्र डोडा चूरा रखने व परिवहन करने से धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर उक्त दोनो मुलजिमान को गिरफतार किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही के बाद मय माल व मुलजिम के थाने पर आये जहां एस आई साहब ने मुकदमा दर्ज कर माल को जमा मालखाना किया। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि टनल के अतिरिक्त उन्होंने और कहीं नाकाबंदी नहीं की ा वाहन को चैक किया तो सबसे पहले ड्राईवर से पूछताछ की थी, उसके दस्तावेज वगैरह चैक किये थे उसके बाद दूसरे व्यक्ति को चैक किया था, दोनों व्यक्तियों की व्यक्तिगत तलाशी में कोई आपत्तिजनक वस्तु या पदार्थ नहीं मिला। उन्होंने टनल के कर्मचारियें व आने-जाने वालों को इसलिये गवाह नहीं बनाया, क्योंकि कोई गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ।कांटा बाट मौके से लेने वह गया था जो सदर के आसपास से किसी व्यक्ति से लेकर आया था, उसका नाम उसे पता नहीं है, उसकी किराने की दुकान थी। उन्होंने पूरे माल की जप्ती बनाई थी, अलग से माल की जप्ती नहीं बनाई। मौके से एस.पी.साहब को सूचना देने कौन गया था, इसका उसे पता नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि उनके किस धारा के कितने प्रकरण हुए,

ऐसा टारगेट रहता है। गवाह ने इस बात को गलत बताया कि मौके से कोई माल बरामद नहीं हुआ हो।

11. मौके पर उपस्थित अन्य गवाह नवनीत कुमार पी.डब्ल्यू. 2 है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 17.06.2017 को पुलिस थाना सदर मे कानि0 चालक के पद पर तैनात था। उस दिन समय 12.15 ए एम पर अशोक जी एस आई व हेमराज कानि, जोधराज कानि, मुकेश मय सरकारी जीप टनल के वहां हथियार बंद नाकाबंदी करने हेतु गये थे। तभी एक सफेद रंग की कार सेलेरियो जिसका नं. आर जे 33 सी ए 3012 कोटा की तरफ से देवली की तरफ जाती हुई दिखाई दी जिसे रूकाया गया जिसमे दो व्यक्ति बैठे थे। जिनका नाम अनवर व श्याम सिंह था। फिर कहा कि श्याम सिंह व इमरान था। उन दोनों व्यक्तियो से अशोक जी एस.आई. साहब के पूछने पर उन्होने भवानीमण्डी से केकड़ी जाना बताया। उनसे गाड़ी के बारे में पूछा गया तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। एस.आई. साहब ने दोनों पकड़े गये व्यक्तियो की तलाशी ली गई तो इमरान के पास 1200 रूपये व आधार कार्ड व ड्राईविंग लाईसेंस पाये गये व श्याम सिंह के पास 800 रूपये मिले तथा दोनो के पास मोबाइल मिले थे। जिनमे से एक के पास 1004 व दूसरे के पास 101 लास्ट के नम्बर थे। एस आई साहब ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमे पिछली सीट पर एक बोरा मिला जिसे चैक किया तो उसमे मादक पदार्थ डोडा चूरा मिला। दोनों व्यक्तियों से डोडा चूरा रखने व परिवहन बाबत् अनुज्ञा पत्र चाहा गया तो नहीं होना बताया। मुकेश कानि. से इले. कांटा देवपुरा से मंगाया गया व उक्त डोडा चूरा को तौला गया तो बोरे सहित वजन 51 किग्रा 400 ग्राम निकला। दोनों व्यक्ति ने बताया कि डोडा चूरा केकड़ी ले जाना बताया। मुलजिमान का उक्त कृत्य धारा 8/15 व धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट मे दण्डनीय अपराध पाया गया। अशोक एस आई ने मादक पदार्थ डोडा चूरा को सूंघकर अपने पूर्व अनुभव व गवाहान ने सूंघा तो सभी ने मादक पदार्थ डोडा चूरा होना बताया तथा स्वयं मुलजिमान ने भी डोडा चूरा होना स्वीकार किया। उक्त दोनो पकडे गये व्यक्तियो को उनके विधिक अधिकारो की सूचना दी व उनके हस्ताक्षर कराये। उक्त डोडा चूरा में से 1-1 ग्राम के दो पृथक पृथक सैम्पल बतौर नमूना व कन्ट्रोल सैम्पल निकाला गया तथा उन्हें सील्ड मोहर कर मार्क बी व सी दिया तथा शेष मादक पदार्थ को मार्क ए दिया गया। रिश्तेदार केकड़ी का होना बताया था। मुलजिमान को मौके पर ही गिरफतार किया गया तथा माल को मौके पर ही जप्त कर फर्द जप्ती बनाई गई। मुलजिमान व जप्त माल व गाड़ी को लेकर थाने पर आये। रिश्तेदार का नाम महेन्द्र परिहार होना बताया। सम्पूर्ण कार्यवाही के बाद मय माल व मुलजिम थाने आये जहां एस आई साहब ने मुकदमा दर्ज किया व माल को जमा मालखाना किया गया तथा मुलजिमान को बन्द हवालात किया गया। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि रोजनामचे में रपट डाली या नहीं, उसे पता नहीं है। जाप्ते के लोग रोड़ पर गाड़ी रोक रहे थे, वह तो गाड़ी में बैठा देख रहा था। रेलेरियों गाड़ी में बाहर से कोई आपत्ति जनक वस्तु दिखाई नहीं दी। गवाह ने स्वीकार किया कि सारी कार्यवाही हो गई तब उसे बताया कि इन दो व्यक्तियों को रोका है और माल पकड़ा है। कितने-कितने कटद्यटों में तोला, उसे पता नहीं है।

घटना के बाद वह दोबारा मौके पर नहीं गया। उस समय मालखाना इंचार्ज कौन था, उसे याद नहीं है।

12. साक्षी रघुवीर सिंह पी.डब्ल्यू. 6 तस्दीक मौका घटनास्थल का गवाह है, जिसने अपने बयानों में बताया कि वह दिनांक 18.06.2017 को थाना सदर पर ए.एस.आई. के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नंबर 257/2017 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट मे अनुसंधान अधिकारी अभिषेक पारीक एस.एच.ओ. ने गिरफ्तारशुदा मुलजिम इमरान खान पुत्र इरफान खान की सूचना व निशांदेही से उसके द्वारा आगे-आगे चलकर भवानीमंडी बाईपास पर उस स्थान की तस्दीक कराई जहां से उसे महेन्द्र सिंह ने माल डोडा-चूरा मय कार के दिया था। फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी 13 है। बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-13 के तहत उक्त प्रकरण में घटनास्थल का नक्शा मौका बन चुका था। मौके पर खेत व पैट्रोल पम्प के कर्मचारियों को स्वतंत्र गवाह बनने के लिये बुलाया था, लेकिन वे तैयार नहीं हुए, इसलिये उन्हें ही स्वतंत्र गवाह बनाया था।

13. साक्षी प्रमोद पी.डब्ल्यू. 13 तस्दीक मौका घटनास्थल का गवाह है, जिसने अपने बयानों में बताया कि वह दिनांक 18.06.2017 को थाना सदर बून्दी में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नंबर 257/2017 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तारशुदा मुलजिम इमरान खान की सूचना व निशादेही से अनुसंधान अधिकारी अभिषेक पारिक ने मुलजिम द्वारा आगे-आगे चलकर बाई पास भवानी मण्डी पहुंचकर मिश्रोली रामगंजमंडी रोड पर उस स्थान की तस्दीक कराई जहां महेन्द्र सिंह ने डोडाचूरा मय कार सेलेरियो आर जे 33 सी ए 3012 इमरान खान को संभलाई थी। फर्द तस्दीक घटना स्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी 13 है।

14. साक्षी गजानन्द पी.डब्ल्यू. 11 तस्दीक घटनास्थल सुपुर्दगी डोडा चूरा का गवाह है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 16.01.2022 को थाना सदर बून्दी में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नंबर 257/2017 धारा 8/15 व 8/29 एनडीपीएस एक्ट में अनुसंधान अधिकारी श्री उदयलाल एस.आई. साहब ने गिरफ्तारशुदा मुलजिम महेन्द्र सिंह की सूचना व निशादेही से मुलजिम द्वारा आगे-आगे चलकर भवानीमंडी बाईपास रोड़ पहुँचकर घटना स्थल की तस्दीक करवायी थी जहां मुलजिम महेन्द्र सिंह ने मुलजिम इमरान को डोडा चूरा से भरी हुई गाड़ी सुपुर्द की थी। फर्द तस्दीक घटना स्थल सुपुदर्गी डोडा चूरा प्रदर्श पी 20 है। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि उसे पता नहीं है कि मुलजिम कब से पुलिस अभिरक्षा में था, ना ही उसके सामने मुलजिम ने कोई सूचना दी थी। जिस स्थान पर लेकर गये, वह खुला स्थान था। किसी व्यक्ति को स्वतंत्र गवाह बनाने का प्रयास किया हो तो वह उसका नात पता नहीं बता सकता।

15. साक्षी मायाराम पी.डब्ल्यू. 17 नक्शा मौका सुपुर्दगीस्थल डोडा चूरा का गवाह है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 16.01.2022 को पुलिस थाना सदर बूंदी में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसकी व कानि. गजानन्द 620 की उपस्थिति में मुलजिम महेन्द्र

सिंह की सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक मुलजिम की निशांदेही से डोडाचूरा व कार की सुपुर्दगी स्थल का नक्शा तैयार किया गया। फर्द नक्शा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा सुपुर्दगीस्थल प्रदर्श पी 20 है।

16. साक्षी कैलाश पी.डब्ल्यू. 14 फर्द गिरफ्तारी का गवाह है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 14.01.2022 को थाना सदर, बूंदी में कानि. के पद पर था। उस दिन मुकदमा नंबर 257/2017 धारा 8/15, 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट में आईओ श्री परमेश्वर ए.एस.आई. ने जिला कारागार हनुमानगढ से अभियुक्त महेंद्र सिंह पुत्र उल्फत सिंह को गिरफ्तार किया था। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 22 है। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि मुलजिम की गिरफ्तारी की सूचना उसके किस परिजन को दी, आज याद नहीं है।

17. साक्षी रणजीत पी.डब्ल्यू. 14 भी फर्द गिरफ्तारी का गवाह है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 14.01.2022 को थाना सदर बून्दी में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नंबर 257/2017 धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में अनुसंधान अधिकारी परमेश्वर ए.एस.आई. के साथ वह व कैलाशचंद कानि. हनुमानगढ जेल पहुंचे, जहाँ अनुसंधान अधिकारी ने मुलजिम महेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया था। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 22 है। बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार किया कि वह आई ओ के साथ थाने से गया था। मुलजिम इस प्रकरण में अग्रिम जमानत पर हो तो उसे ध्यान नहीं है।

18. साक्षी युवराज सिंह पी.डब्ल्यू. 7 मालखाना इंचार्ज है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 17.06.2017 को थाना सदर पर हैड कानि. के पद पर कार्यरत था। उस रोज अशोक कुमार एस.आई. द्वारा तीन पैकेट मार्क ए, बी, सी शील्डशुदा धारा 55 एनडीपीएस एक्ट के साथ में जमा मालखाना करने हेतु सिपुर्द किये थे, जिनको उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर की मद संख्या 178/17 पर दर्ज कर जमा मालखाना किया था। मालखाना रजिस्टर आज साथ लेकर आया है। धारा 55 एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रदर्श पी 08 है। मालखाना रजिस्टर मूल प्रदर्श पी 14 है। पत्रावली में संलग्न प्रति प्रदर्श पी 14ए है। दिनांक 20.06.2017 को ललित एफ.सी. 216 मय माल मार्क सी परीक्षण हेतु शील्ड हालत में मय कागजात के एफ.एस.एल. जयपुर भेजा गया। जमा कराने हेतु दिये थे। जिसने उक्त माल जमा करवाकर उसे प्राप्ती रसीद लाकर सिपुर्द कर दी थी। एफ.एस.एल. में माल जमाकर माल की रसीद उसे लाकर सुपुर्द करने का पृष्ठांकन ई से एफ भाग में अंकित है। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि माल पर अनुसंधान अधिकारी की व्यक्तिगत सील लगी थी।

19. साक्षी ललित किशोर पी.डब्ल्यू. 8 प्रकरण में जप्तशुदा माल को एफ.एस.एल. में जमा कराने का गवाह है। इस साक्षी ने अपने बयानों में बताया किवह दिनांक 20.06.2017 को थाना सदर बून्दी में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन मालखाना इंचार्ज श्री युवराज एच.सी. ने मुकदमा नंबर 257/2017 धारा 8/15, 8/29 एनडीपीएस एक्ट में जब्तशुदा आर्टिकल, सीलडशुदा पैकेट मार्क सी मय दस्तावेज के एफएसएल जयपुर जमा करवाने हेतु उसे सुपुर्द किया था जिसे लेकर

वह थाने से रवाना हो एस.पी. साहब के कार्यालय पहुँचा तथा अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर रवाना हो दिनांक 21.06.2017 को एफएसएल जयपुर पहुँचा। उक्त सील्डशुदा पैकेट एफएसएल में जमा करवाकर रसीद क्रमांक 8167/2017 दिनांक 21.06.2017 प्राप्त कर दिगर राजकार्य करता हुआ दिनांक 22.06.2017 को वापस थाने आया और रसीद मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द की। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 15 हैं। एफएसएल की रसीद प्रदर्श पी 16 हैं जो शामिल पत्रावली हैं। नकल रपट रवानगी व वापसी रोजनामचा क्रमशः प्रदर्श पी 17 व 18 हैं। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि वह माल लेते ही रवाना हो गया था तथा एस.पी. ऑफिस कितने बजे पहुँचा, यह आज याद नहीं है माल सील बंद था लेकिन मोहर किसकी लगी थी, यह आज उसे याद नहीं है।

20. साक्षी सतीश कुमार पी.डब्ल्यू. 9 धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट का गवाह है, जिसने अपने बयानों में बताया कि वह दिनांक 17.06.2017 को थाना सदर बूंदी में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रकरण 257/2017 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना का एक बंद लिफाफा उसे एसएचओ साहब ने दिया था। जिसे लेकर वह सीओ कार्यालय, बूंदी पहुंचा व सीओ साहब को उक्त लिफाफा सूपुर्द किया जिन्होने धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की दूसरी प्रति पर हस्ताक्षर कर रसीद अंकित कर उसे दी थी, जिसे लेकर वह वापस थाने पर आया व सूचना मय रसीद एसएचओ साहब को सिपुर्द की जो प्रदर्श पी 12 है। नकल रपट रोजनामचा रवानगी प्रदर्श पी 19 है तथा नकल रपट वापसी प्रदर्श पी 20 है। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके थाने से रवाना होने से कितने समय पहले से मुलजिम थाने पर था। उसे तो बंद लिफाफा दिया था।

21. साक्षी जगन्नाथ पी.डब्ल्यू. 12 आरोप-पत्र प्रस्तुत करने का गवाह है, जिसने अपने बयानों में बताया कि वह दिनांक 09.09.2017 को थाना सदर बून्दी में ए एस आई. के पद पर तैनात था तथा इंचार्ज थाना भी था। उस दिन मुकदमा नंबर 257/2017 धारा 8/15 व 8/29 एनडीपीएस एक्ट की अनुसंधान पत्रावली अनुसंधान अधिकारी श्री अभिषेक पारिक ने उसके समक्ष पेश की थी। बाद अवलोकन पत्रावली उसने अभियुक्तगण इमरान खान एवं श्याम सिंह के विरूद्व धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट एवं मुलजिम महेन्द्र सिंह के विरूद्व धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर चार्ज सीट संख्या 311 कता कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि उसने मौके पर जाकर कोई मुआयना नहीं किया। गवहा ने स्वीकार किया कि उसे समय एफ एस एल रिपोर्ट भी नहीं आई थी। गवाह ने स्वीकार किया कि उसने एन.डी.पी.एस.एक्ट का अपराध गवाहों के बयानों के आधार पर ही प्रमाणित माना है गवाह ने स्वीकार किया कि इस प्रकरण में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं थे, सभी गवाह पुलिसकर्मी ही थे।

22. साक्षी उदयलाल पी.डब्ल्यू. 10 द्वारा प्रकरण का आंशिक अनुसंधान किया गया है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 15.01.2022

को थाना सदर बून्दी में एस.आई. के पद पर तैनात था। उस दिन परमेश्वर जी एस.आई. जो मुकदमा नंबर 257/2017 धारा 8/15 व 8/29 एनडीपीएस एक्ट में अनुसंधान अधिकारी थे, ने उक्त प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु उसे सुपुर्द की थी। इससे पूर्व परमेश्वर जी एस.आई. इस प्रकरण में मुलजिम महेन्द्र सिंह को हनुमानगढ़ जेल से वारंट की पालना में गिरफ्तार कर लाये थे। उसने दौराने अनुसंधान गिरफ्तारशुदा मुलजिम महेन्द्र सिंह से पूछताछ की व पूछताछ नोट शामिल पत्रावली किया। पूछताछ में उसने डोडा चूरा सुकेत से लाना बताया तथा मुलजिम इमरान को गाड़ी में डोडा चूरा से भरी हुई गाड़ी नंबर आरजे 33 सीए 3012 संभलाना बताया था। दौराने अनुसंधान मुलजिम ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत सूचना दी थी कि उसने जिस जगह पर कार में डोडा चूरा भरकर कार इमरान को संभलायी थी वह जगह वह चलकर बता सकता है। फर्द सूचना प्रदर्श पी 19 हैं। दिनांक 16.01.2022 को मुताबिक सूचना व निशांदेही मुलजिम महेन्द्र सिहं ने आगे-आगे चलकर बाईपास भवानीमंडी पहुँचकर उस स्थान की तस्दीक करवायी जहां उसने डोडा चूरा से भरी हुई कार इमरान को संभलायी। फर्द तस्दीक घटना स्थल प्रदर्श पी 20 है। मुलजिम महेन्द्र सिंह का आपराधिक रिकार्ड प्रदर्श पी 21 है जो मेल से प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया था। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि जहॉ पर घटना स्थल की तस्दीक करवायी, वह आम रोड है किसी का मकान या स्वामित्व की सम्पत्ति नहीं है। गवाह ने इस बात को गलत बताया कि मौके पर कोई स्वतंत्र गवाह बनाने का प्रयास नहीं किया गया हो। स्वतंत्र गवाह बनाने का प्रयास मौखिक रूप से किया गया था, लिखित तहरीर नहीं दी थी। गवाह ने स्वीकार किया कि मौके पर अलामात नहीं थे, मात्र मुलजिम के कथन के आधार पर उस स्थान का घटनास्थल के रूप में माना गया। वह नहीं बता सकता कि आपराधिक रिकार्ड में कितने मुकदमों को मुलजिम को दोषसिद्धि हुई।

23. साक्षी अभिषेक पारीक पी.डब्ल्यू. 16 प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 17.06.2017 को थाना सदर पर थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन प्रकरण सं 257/2017 थाना सदर का अनुसंधान उसके द्वारा प्रारंभ किया गया। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा नक्शामौका घटनास्थल हाइवे स्थल टनल के पास बनाया जो प्रदर्श पी 11 है। इसी प्रकरण में दिनांक 18.06.2017 को फर्द नक्शा माल प्राप्ति स्थल अभियुक्त इमरान की निशांदेही से बनाया जो प्रदर्श पी 13 है। रोजनामचा की रपट पी 17 लगायत 20 है जो शामिल पत्रावली है। उसके द्वारा गवाह नवनीत कुमार, जोधराज, मुकेश, हेमराज, अशोक, ललित, युवराज, सतीश के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल किये। अभिरक्षा में मुल्जिम इमरान द्वारा उस आईओ को सूचना दी कि जिस स्थान पर उसे महेंद्र ने गाडी को संभलाया था उस स्थान को वह चलकर बता सकता है। धारा 27 की सूचना प्रदर्श पी 23 है। अभियुक्त इमरान, श्यामसिंह का आपराधिक रिकार्ड शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान आईडिया मोबाइल कंपनी से लिये गये केफ एवं सी.डी.आर. के संबंध में नोडल अधिकारी से 65बी का प्रमाण पत्र लिया गया जो

प्रदर्श पी 24 है तथा केफ एवं सी.डी.आर. के संबंध में पत्र प्रदर्श पी 25 है, जिसके साथ सी.डी.आर. संलग्न है। इसी प्रकरण में उसके द्वारा एयरसेल कंपनी से भी केफ एवं सी.डी.आर. चाही गई थी जिसके संबंध में जारी 65बी का प्रमाण पत्र लिया गया जो प्रदर्श पी 26 है जिसके साथ केफ व सी.डी.आर. संलग्न है। मुल्जिम इमरान, महेंद्र, श्यामसिंह के मोबाइल नंबरों की सी.डी.आर. प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। एफ.एस.एल. नतीजा प्रदर्श पी 27 है। संपूर्ण अनुसंधान से इमरान, श्यामसिंह के विरूद्ध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट व मुल्जिम महेंद्र के विरूद्ध 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध प्रमाणित होना पाया जाने पर पत्रावली आरोप पत्र प्रस्तुत करने हेतु थाना इंजार्च को सुपुर्द की। बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार किया कि पत्रावली पर पुलिसकर्मियों के अलावा कोई स्वतंत्र गवाह उपस्थित नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि जप्तशुदा वाहन उसे अनुसंधान प्राप्त होने पर थाने पर लाया जा चुका था। उसे ध्यान नहीं है कि जप्तशुदा वाहन के दो टायर फटे हुए हों। नक्शा मौका बनाने के दौराने भी पुलिसकर्मी उसके सथ थे मुलजिम इमरान की सूचना के अनुसार जो नक्शा मौका बनाया, वह भी आम रोड़ है।

24. दोनों पक्षों की ओर से दिये गये तर्कों पर विचार कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विचार करना उचित पाता है कि क्या प्रस्तुत मामले में धारा 42 एन.डी.पी.एस.एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना की गई है। इस धारा के प्रावधान उन परिस्थितियों में लागू होते हैं जहाॅ कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी के पास ऐसी कोई व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखी गई सूचना पर यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के संबंध में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया है, अर्थात् अभियुक्त के पास मादक पदार्थ होने की पूर्व सूचना होना आवश्यक है। प्रस्तुत मामले में जप्ती अधिकारी के अनुसार उच्चाधिकारियों के आदेश पर बून्दी टनल से पहले कोटा की तरफ जाने वाली हाईवे रोड पर हथियारबंद नाकाबन्दी की जा रही थी, परन्तु इस संबंध में कोई रोजनामचा पत्रावली पर संलग्न नहीं है, जो यह जाहिर करे कि जप्ती अधिकारी मय जाप्ता थाने से उच्चाधिकारियों के आदेश पर हथियार लेकर नाकाबंदी हेतु कथित स्थान पर रवाना हुए। यहाॅ तक कि इस कार्यवाही को सम्पन्न करने के पश्चात् पुनः थाने पर आकर आमद रपट दर्ज की गई हो, यह भी स्पष्ट नहीं है चूंकि उक्त दिनांक की कोई आमद भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। साथ ही यदि इस संबंध में चाक एफ.आई.आर. पर विचार किया जाये तो पत्रावली पर चाक एफ.आई.आर. भी अभियोजन की ओर से प्रदर्शित नहीं करवायी गई है। इस प्रकार पुलिस जाप्ते के द्वारा तत्समय् जो कार्यवाही की गई, वह आकस्मिक चैकिंग के दौरान की गई, यह तथ्य अभियोजन की साक्ष्य से सपष्ट नहीं हो रहा है।

25. अब यदि जप्ती की परिस्थितियों पर विचार किया जाये तो जप्ती की पुष्टि बाबत् जो गवाह न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए हैं, उनके द्वारा मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि जो डोडा चूरा अभियुक्त पक्ष से बरामद होना बताया गया है, उसका बारदाने सहित वजन 51 किलो 400 ग्राम है, परन्तु उक्त

कुल वजन में से मादक पदार्थ का शुद्ध वजन कितना था, यह जप्ती के किसी भी गवाह द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। यदि इस संबंध में फर्द जप्ती प्रदर्श पी-1 का अवलोकन किया जाये तो जप्ती में भी बारदाने सहित उक्त मादक पदार्थ का वजन 51 किलो 400 ग्राम बताया गया है, परन्तु मादक पदार्थ का शुद्ध वजन बारदाने के अतिरिक्त कितना था, इसका कोई उल्लेख सम्पूर्ण जप्ती में कहीं भी नहीं है। यहॉ यह ध्यान दिये जाने योग्य है कि एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मादक पदार्थ का वजन एक महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसके आधार पर बरामदशुदा अवैध मादक पदार्थ के संबंध में सजा का वर्गीकरण किया गया है। प्रस्तुत मामले में भी जहॉ अभियुक्त पक्ष से 51 किलो 400 ग्राम डोडा चूरा जप्त होना बताया गया है, वहॉ यदि बारदाने का वजन इतना हो कि मादक पदार्थ का शुद्ध वजन 50 कलो से कम हो जाये तो वह व्यावसायिक श्रेणी से बाहर हो जायेगा, जिसके लिये कारावास व जुर्माने की सजा भी कम नियत की गई है। अतः वास्तव में बारदाने व मादक पदार्थ के शुद्ध वजन का प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसके संबंध में फर्द जप्ती व जप्ती के गवाहान की साक्ष्य स्पष्ट नहीं है एवं अन्य साक्ष्य जिसके द्वारा इस बिन्दु को स्पष्ट किया जा सकता था वह इन्वेन्ट्री कार्यवाही के दस्तावेजात् हैं परन्तु प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा इन्वेन्ट्री कार्यवाही के दस्तावेजात् को प्रदर्शित ही नहीं करवाया गया है। ऐसे में इस न्यायालय के विनम्र मत में जिन दस्तावेजात् को प्रदर्शित ही नहीं करवाया गया है और जिनके संबंध में अभियुक्त को प्रश्न पूछने व प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने का अवसर ही नहीं मिला हो, उन दस्तावेजात् को उसके विरुद्ध पढ़ा जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसे में प्रस्तुत मामले में वास्तव में कथित बरामदशुदा मादक पदार्थ का शुद्ध वजन कितना था, यह तथ्य भी सन्देहास्पद है।

26. अब यदि प्रस्तुत मामले में मादक पदार्थ को मौके पर सील मोहर करने की प्रक्रिया के संबंध में विचार किया जाये तो पत्रावली पर मौजूद फर्द जप्ती प्रदर्श पी-1 एवं फर्द नमूना सील प्रदर्श पी-2 से यह प्रकट है कि धारा 55 एन डी पी एस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार मौके पर जप्ती अधिकारी द्वारा स्वयं की निजी सील अंकित नहीं की गई, अपितु थाना सदर की मोहर से ही उक्त माल को मौके पर सील करना बताया गया है, जबकि थाने की सील को दौराने गश्त अपने साथ रखे जाने का कोई कारण जप्ती अधिकारी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। यहॉ यह ध्यान दिये जाने योग्य है कि धारा 55 एन.डी.पी.एस. अधिनियम एक आज्ञापक प्रावधान से संबंधित है। जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस मादक पदार्थ को मौके पर जप्ती अधिकारी द्वारा सील मोहर किया जाये उसे थाने पर तथा तत्पश्चात् विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने तक अक्षुण्ण रखा जाये एवं इसीलिये विधिनुसार मौके पर जप्ती अधिकारी द्वारा गवाहान के समक्ष नमूना सील अंकित की जाती है, वहीं जब उक्त मादक पदार्थ को मालखाना प्रभारी को सौंपा जाता है तो उक्त सीलशुदा अवस्था में ही उसको थाने की मोहर अंकित की जाती है। जबकि प्रस्तुत मामले में मौके पर ही कथित जप्तशुदा मादक पदार्थ व थाने की सील अंकित कर दी गई एवं आगामी स्तर पर जब माल को थाने पर लाकर पुनः सील किया गया तो फर्द नमूना पुनः सील प्रदर्श पी-7 के अनुसार उस पर आर.एस

नाम की सील अंकित की गई एवं फर्द प्रदर्श पी-7 में इस तथ्य का कोई उल्लेख मौजूद नहीं है कि जिस नमूना सील आर.एस से माल को पुनः सील किया गया है, उक्त नमूना सील किस व्यक्ति से संबंधित थी। यदि इस संबंध में मालखाना प्रभारी पी.डब्ल्यू. 7 युवराज सिंह के बयानों का अवलोकन किया जाये तो गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि जमा माल को उसने देखा था, माल पर आई.ओ. की व्यक्तिगत सील लगी थी। जबकि इस संबंध में प्रदर्श पी-1 पर मौजूद थाना सदर की पुलिस कार्यवाही का अवलोकन किया जाये तो तत्समय् जप्ती अधिकारी अशोक कुमार द्वारा ही मुकदमा दर्ज कर जप्तशुदा आर्टिकल को सील कर मय जामा तलाशी माल के जमा मालखाना करवाने का तथ्य अंकित है। ऐसे में आई.ओ. द्वारा उक्त माल पर अपनी निजी सील कब अंकित की गई, यह तथ्य अस्पष्ट है एवं सन्देहास्पद भी है। प्रस्तुत मामले में अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.डब्ल्यू. 16 अभिषेक पारीक है एवं अभियुक्त महेन्द्र की हद तक गवाह पी.डब्ल्यू. 10 उदयलाल है तथा जो पुनः नमूना सील मादक पदार्थ पर अंकित की गई है वह आर.एस नाम की है जो कि दोनों ही अनुसंधान अधिकारियों के नाम का लघु स्वरूप नहीं है। इस प्रकार पत्रावली पर मौजूद जप्ती की प्रक्रिया को देखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में मौके पर कथित बरामदशुदा मादक पदार्थ को सील मोहर करने में अधिनियम के प्रावधानों की समुचित पालना नहीं की गई, जो कि वास्तव में पुलिस की कार्यवाही में सन्देह की स्थिति को उत्पन्न कर रही है।

27. यहॉ एक अन्य तथ्य यह विचारणीय है कि प्रस्तुत मामले में मौके पर कथित जप्तशुदा मादक पदार्थ को कांटे से तोलना बताया गया है एवं उक्त कांटा लाने के लिये कानि. मुकेश कुमार जो कि पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में परीक्षित हुआ है, को भेजना बताया है। यहॉ यह ध्यान दिये जाने योग्य है कि जप्ती रात्रि क करीब 12 से 1 बजे के बीच करना बताई गई है एवं उक्त परिस्थितियों में यह गवाह मादक पदार्थ को तोलने के लिये इलेक्टोनिक कांटा कहॉ से लेकर आया, इस तथ्य को यह गवाह स्वयं ही स्पष्ट नहीं कर पा रहा। जब इस गवाह से इस संबंध में जिरह की गई तो इसने कथन किया कि कांटा बांट वह लेने गया था जो थाना सदर के पास किसी व्यक्ति से लेकर आया था, उसका नाम उसे नहीं पता, किराने की दुकान थी। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि सामान्य परिस्थितियों में रात को 12-1 बजे किराने की दुकान खुली नहीं होती है और जहॉ जप्ती के संबंध में गवाह द्वारा छोटे से छोटे तथ्य को बताया गया है, वहीं ऐसा महत्वपूर्ण कार्य जो उसके द्वारा अकेले किया गया है, उसके संबंध में वह यह स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि वास्तव में कांटा कहॉ से लाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि मौके पर इलेक्टोनिक कांटा लाकर माल को तोले जाने का कथन भी सन्देहास्पद है। इस संबंध में यदि अन्य गवाहान के बयानों का अवलोकन किया जाये तो मौके का कोई भी गवाह यह स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि मुकेश माल तोलने के लिये कांटा कहॉ से लाया।

28. प्रस्तुत मामले में स्वतंत्र गवाह नही बनाये जाने का कारण रात्रि का समय होना बताया, परन्तु गवाहान ने यह स्वीकार किया है कि मौके पर अन्य लोग भी आ-जा रहे थे एवं गवाह पी.डब्ल्यू. 5 हेमराज के अनुसार तो टनल के पास एक होटल भी मौजूद है एवं टनल का ऑफिस भी बना हुआ है, जहॉ कर्मचारियों

की नियुक्ति रहती है। यह गवाह कथन करता है कि उसने टनल के कर्मचारियों से गवाह बनने के लिये पूछा था परन्तु तहरीर में उनके नाम स्पष्ट नहीं किये। इस प्रकार यह तो स्पष्ट है कि मौके पर स्वतंत्र गवाह मौजूद थे, जिन्हें प्रस्तुत मामले में बरामदगी का गवाह बनाने के समुचित प्रयास किये गये हो, ऐसा दर्शित नहीं हो रहा है। हालांकि किसी भी पुलिस कर्मचारी की साक्ष्य का मात्र इस आधार पर नहीं नकारा जा सकता है कि वह एक पुलिस कर्मचारी है ,परन्तु यह आवश्यक है कि जहॉ पुलिस कर्मचारी ही साक्षी हैं, वहॉ उनकी साक्ष्य सुदृढ़ प्रकृति की हो, जो कि प्रस्तुत मामले में साबित नहीं हो रहा है। मौके के गवाह यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि टनल के पास सी.सी.टी.वी. कैमरा भी है किन्तु अपने कथनों को साबित करने के लिये उक्त कमरों की कोई सी.सी.टी.वी. फुटेज पेश नहीं की है।

29. यदि अभियुक्त महेन्द्र सिंह की भूमिका पर विचार किया जाये तो उसे प्रस्तुत मामले में उक्त व्यक्ति बताया गया है जिससे अभियुक्त इमरान व श्याम सिंह द्वारा कथित मादक पदार्थ खरीदा गया। यहॉ यह ध्यान दिये जाने योग्य है कि जब अभियुक्त महेन्द्र सिंह को प्रस्तुत मामले में गिरफ्तार किया गया तब अभियुक्त महेन्द्र पूर्व से ही कारागृह हनुमानगढ़ में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था। यह तथ्य फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-22 से भी स्पष्ट है। प्रस्तुत मामले में महेन्द्र की भूमिका अभियुक्त इमरान द्वारा दी गई धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आधार पर पायी गई एवं उक्त सूचना प्रदर्श पी-23 के रूप में पत्रावली पर संलग्न है। परन्तु इस सूचना को संस्वीकृति के रूप में दर्ज नही किया गया है, ना ही इस पर किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर हैं, जिसके समक्ष यह सूचना दी गई है। आगामी स्तर पर अभियुक्त महेन्द्र से भी धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी-19 प्राप्त कर उस स्थान की तस्दीक करना बताया गया है, जहॉ उसके द्वारा कार में डोडा चूरा भरकर इमरान को संभलाया गया। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि यह सूचना भी संस्वीकृति के रूप में दर्ज नहीं है एवं जिस स्थान की अभियुक्त महेन्द्र सिंह द्वारा तस्दीक करना बताया गया है, उक्त स्थान का फर्द नक्शा प्रदर्श पी-20 के रूप में मौजूद है, जिसकी पुश्त पर यह अंकित है कि मार्क ए से दर्शित रोड के एक्स स्थान पर अभियुक्त महेन्द्र सिंह द्वारा मुलजिम इमरान को डोडा चूरा सहित कार सुपुर्द करना बताया गया है। परन्तु यदि नक्शा प्रदर्श पी-20 का अवलोकन किया जाये तो मार्क ए से दर्शित रोड पर कोई एक्स स्थान अनुसंधान अधिकारी उदयलाल द्वारा अंकित ही नहीं किया गया है। इस संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू. 11 गजानन्द के बयानों का अवलोकन किया जाये तो यह गवाह कथन करता है कि अभियुक्त महेन्द्र से घटनास्थल की तस्दीक करवाने के लिये प्राईवेट वाहन से गये थे, जो किसका था उसे याद नहीं है। जिस स्थान पर लेकर गये वह खुला स्थान था। किसी व्यक्ति जिसे स्वतंत्र गवाह बनाने का प्रयास किया गया हो, उसका नाम पता नहीं बता सकता। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू. 17 मायाराम भी उक्त जगह को आम रास्ता होना बताता है परन्तु किसी भी गवाह द्वारा वास्तव में उक्त आम रास्ते पर उस स्थान पर चिन्हित नहीं किया गया, जहॉ नरेन्द्र ने माल सुपर्द किया हो। इस संबंध में दस्तावेज प्रदर्श पी-20 भी उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट नहीं है।

30. प्रस्तुत मामले में अनुसंधान अधिकारी के बयानों का अवलोकन किया जाये तो गवाह पी.डब्ल्यू. 16 अभिषेक पारीक द्वारा अभियुक्त इमरान, महेन्द्र व श्याम सिंह के विरुद्ध सम्पूर्ण अनुसंधान से अपराध प्रमाणित पाये जाने का कथन किया है, जबकि गवाह पी.डब्ल्यू. 10 उदयलाल के अनुसार दिनांक 15.01.2022 को प्रस्तुत मामले की पत्रावली अनुसंधान हेतु पूर्व अनुसंधान अधिकारी परमेश्वर जी एस.आई. द्वारा उसे अग्रिम अनुसंधान हेतु सुपुर्द की गई थी। इस गवाह के अनुसार महेन्द्र सिंह ने धारा 27 की सूचना उसे दी थी, जिस पर तस्दीक घटनास्थल मुर्तिब किया गया एवं आपराधिक रिकार्ड शामिल पत्रावली किया गया। जबकि अनुसंधान अधिकारी अभिषेक पारीक ने स्वयं को अनुसंधान 17.06.2017 को प्राप्त होना बताया है एवं बीच में अनुसंधान किसी अन्य अधिकारी को सौंपा गया हो, इसका कोई उल्लेख अपनी मुख्य परीक्षा में नहीं किया है। यह गवाह सीधे ही तीनों मुलजिमान के विरुद्ध अनुसंधान से अपराध प्रमाणित पाने और आरोप पत्र पेश करने का कथन करता है, जिससे वास्तव में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि पत्रावली किन परिस्थितियों में परमेश्वर एस.आई व गवाह उदयलाल को अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई।

31. इस प्रकार पत्रावली के समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियोजन पक्ष की ओर से ना ही तो पत्रावली पर महत्वपूर्ण दस्तावेज रोजनामचा रपट जप्ती कार्यवाही के लिये रवाना होने व आमद के संबंध में पेश नहीं किया, ना ही पत्रावली पर चाक एफ आई आर व इन्वेन्ट्री की कार्यवाही के दस्तावेज प्रदर्शित हुए हैं। यहॉ तक कि मौके पर जप्ती अधिकारी द्वारा नमूना सील भी थाने की अंकित की गई है, जिसका कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। स्वतंत्र गवाहान को प्रस्तुत मामले की विशेष परिस्थितियों में नहीं बनाये जाने का तथ्य भी कार्यवाही को सन्देहास्पद बनाता है। मौके पर माल को किस कांटे से तोला गया एवं वह कहॉ से लाया गया, यह बिन्दु भी अस्पष्ट है। यहॉ तक कि कथित मादक पदार्थ का शुद्ध वजन भी पत्रावली में स्पष्ट नहीं किया गया। अभियुक्त महेन्द्रसिंह द्वारा किस स्थान की तस्दीक करवायी गई, उसे भी प्रदर्श पी-20 में अंकित नहीं किया गया है। इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष अपने स्तर पर ही सर्वप्रथम मामले को सन्देह से परे सुदृढ़ साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं कर पाया है। अतः न्यायालय अभियुक्तगण इमरान, श्याम सिंह व महेन्द्र के विरुद्ध धारा 35 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा करना उचित नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण इमरान व श्याम सिंह आरोपित अपराध धारा 8/15 एन.डी.पी.एस.एक्ट एवं अभियुक्त महेन्द्र सिंह आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/29 एन.डी.पी.एस.एक्ट में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

32. अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के समग्र परिशीलन व विवेचन से इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 16.06.2017 को समय लगभग 07.50 पी.एम. पर एन.एच. 52 टनल के पास एक कार रजि. नं. आर.जे.33/सी.ए.-3012 में अभियुक्त इमरान व श्याम सिंह के कब्जे से बिना वैध अनुज्ञापत्र के 51 किलो

400 ग्राम डोडा पोस्त चूरा अवैध रूप से परिवहन करते हुए बरामद हुआ, जिसे अपने आधिपत्य में रखने व परिवहन करने का उसके पास कोई वैध अनुज्ञा-पत्र नहीं था एवं उक्त बरामद मादक पदार्थ डोडा पोस्त चूरा अभियुक्त महेन्द्र सिंह द्वारा उन्हें विक्रय करते हुये अपराध का दुष्प्रेरण किया हो। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण इमरान व श्याम सिंह आरोपित अपराध धारा 8/15 एन.डी.पी.एस.एक्ट एवं अभियुक्त महेन्द्र सिंह आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/29 एन.डी.पी.एस.एक्ट में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

**आ दे श**

निष्कर्षतः अभियुक्त इमरान खान पुत्र इरफान खान पठान, निवासी-ग्राम सुकेत, थाना-सकेत, कोटा ग्रामीण (राज0) व श्याम सिंह पुत्र नटवर सिंह, निवासी-ग्राम नयागांव, थाना-सकेत, कोटा ग्रामीण (राज0) को आरोपित अपराध धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 एवं अभियुक्त महेन्द्र सिंह पुत्र उलफत सिंह सोंधिया, निवासी-ग्राम दांता का खेड़ा,थाना-मिश्रोली,जिला-झालावाड़(राज0) को आरोपित अपराध धारा 8/29 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से सुदृढ़ साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण की ओर से उनकी उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

प्रकरण से सम्बन्धित फर्द प्रदर्श पी-1 के जरिये जब्त शुदा मादक पदार्थ डोडा चूरा मय समस्त सेम्पल को अपील अवधि अवसान के छह माह पश्चात् अपील नहीं होने की सूरत में नारकोटिक्स विभाग, कोटा को ड्रग डिस्पोजल कमेटी के माध्यम से नियमानुसार निस्तारण हेतु जमा कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अपील होने की स्थिति में अपील में पारित निर्देशानुसार निस्तारण किया जावे।

उक्त अभियुक्तगण को धारा 481 भा.ना.सुं.सं. के अधीन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर उपस्थित होने हेतु 10,000/-रूपये का बन्ध-पत्र एवं इसी राशि का प्रतिभूति-पत्र प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(मिनाक्षी मीणा)
न्यायाधीश,
विशिष्ट न्यायालय
एन.डी.पी.एस. प्रकरण, बून्दी

33. निर्णय आज दिनांक 13 मार्च, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायाधीश,
विशिष्ट न्यायालय
एन.डी.पी.एस. प्रकरण, बून्दी